कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2018–19/ दिनांक : 27.06.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)

विषय :– उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के वेरिफिकेशन/फॉरवर्ड करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आदेश दिनांक 24.06.2019

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने निर्देशित किया है कि अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (MBC)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में छात्र–छात्राओं द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्रों को संस्था स्तर से भलीभांति जांच उपरान्त प्रमाणित कर फॉरवर्ड किया जाना होता है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड नही किये जाने की स्थिति में लम्बित आवेदन पत्रो की संख्या बढ़ जाने के कारण आवेदन पत्र फॉरवर्ड करने की तिथि से 21 दिन पश्चात् आवेदन पत्र संस्था स्तर से स्वतः फॉरवर्ड हो गये। इस प्रकार के स्वतः फॉरवर्ड आवेदन पत्रों की पुनः जांच हेतु अंतिम बार 30 दिवस का समय दिया गया है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय अपने कार्यालय से संबंधित आवेदन पत्र पुनः भलीभांति जांच कर लेवें। अगर आप द्वारा उक्त अवधि में जांच व फॉरवर्ड नही किया जाता है तो आवेदन पत्र स्वतः फॉरवर्ड होकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की आई डी पर प्रेषित हो जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों की भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। उक्त 30 दिवस की अवधि में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किये जाने पर स्वतः एप्रूव्ड आवेदन पत्र पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की दी जायेगी। भविष्य में आवेदन पत्र स्वतः अग्रेषित होने एवं गलत भुगतान की स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उतरदायी होगा।

27.6.19

www.rajteachers.com

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करे।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

27.6.19

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018-19/सान्याअवि/ 36739 दिनांक : 24/06/19

आदेश

विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृतियों के सरलीकरण के संबंध में आदेश क्रमांक 15027 दिनांक 15.03.2019 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार छात्रवृति आवेदन पत्रों के वेरीफिकेशन, स्वीकृति एवं भुगतान की समय सीमा का निर्धारण किया गया था। जिसके अन्तर्गत स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अधिकतम 03 सप्ताह में छात्रवृति स्वीकृति नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जायेगा एवं इसे डिम्ड एप्रूव्ड मानकर भुगतान कर दिया जायेगा तथा गलत भुगतान होने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा। निर्धारित 21 दिन तक छात्रवृति स्वीकृति नहीं किये जाने पर विभिन्न जिला कार्यालयों में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो गये है। इस संबंध में जिलाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी एवं जिला कार्यालयों में कार्यरत कार्मिको की ड्यूटी लोकसभा चुनाव 2019 में होने, अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा उक्त प्रक्रिया का प्रथम बार होने के कारण से जिला कार्यालयों में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो गये है।

अतः स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर डीम्ड एप्रूव्ड हुए आवेदन पत्रों को पुनः डीएलओ के स्तर पर रिस्टोर करते हुए नियमानुसार निस्तारण हेतु अधिकतम 30 दिवस का अन्तिम बार समय दिया जाता है। उक्त 30 दिवस की अवधि में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किये जाने पर स्वतः एप्रूव्ड आवेदन पत्र पाये जाने पर जिलाधिकारी के विरूद्ध अनुशासात्मक कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में आवेदन पत्र स्वतः अग्रेषित होने एवं गलत भुगतान की स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा।

www.rajteachers.com

(सांवरमल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018-19/सान्याअवि/ 36740-79 दिनांक : 24/06/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
4. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर को भेज कर लेख है कि स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर डीम्ड एप्रूव्ड हुए आवेदन पत्रों को पुनः डीएलओ के स्तर पर रिस्टोर कर दिया जावे तथा इस आशय का मैसेज विद्यार्थी के मोबाईल पर भी भिजवावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
6. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार 30 दिवस में छात्रवृति स्वीकृति का कार्य सम्पादित करावें।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

E/ Letter and note sheet 2019-20/Letter 2019-20/ Sa

Scanned by CamScanner